संख्या-4/2016/1517/35-3-2015-1(72)/2010

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

निदेशक,
गिरि विकास अध्ययन संस्थान,
अलीगंज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 02 फरवरी, 2016**

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ की स्थायी निधि (कारपस फण्ड) से अर्जित ब्याज से पूँजीगत एवं राजस्व मदों हेतु धनराशि के आहरण एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी आई डी एस/2136/15, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ की स्थायी निधि (कारपस फण्ड) संचालन नियमावली-1999 के नियम-9 की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में कारपस फण्ड से अर्जित ब्याज रू0 16,79,640/- (रूपये सोलह लाख उन्नासी हजार छः सौ चालीस मात्र) के सापेक्ष 2/3 भाग रू0 11,19,760/- की पूर्णांकित धनराशि रू0 11.20 लाख (रूपये ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ की स्थायी निधि (कारपस फण्ड) सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित तथा शासी मण्डल द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित पूँजीगत एवं राजस्व मदों हेतु आहरण की अनुमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:-

पूँजीगत व्यय	**धनराशि (लाख रू0 में)**
1- कम्प्यूटर टेबल तथा चेयर	रू0 0.15
2- फोटो कॉपियर मशीन पुस्तकालय हेतु-1	रू0 2.00
3- लेजर कलर प्रिन्टर-2	रू0 0.45
4- पुस्तकालय की पुस्तकों के क्रय पर व्यय	रू0 2.50
5- विन्डो एयर कन्डीशनर्स-2 (1टन क्षमता वाले)	रू0 0.50
योग-	रू0 5.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राजस्व व्यय	धनराशि (लाख रू0 में)
1- पुस्तकालय में जर्नल्स/पीरियडीकल्स हेतु फीस(सब्सक्रिप्सन)	रू0 0.45
2- ब्रोड बैण्ड तथा डाटा-वन इन्टरनेट, वाई फाई आदि की उपलब्धता पर व्यय	रू0 1.10
3- संस्थान की वेबसाइट के रख-रखाव पर व्यय	रू0 0.48
4- सांख्यिकी डाटा उपलब्धता हेतु इण्डिया स्टेट डाट काम को वार्षिक सदस्यता शुल्क	रू0 0.40
5- संस्थान के कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स इत्यादि के रख-रखाव एवं एण्टीवायरस सोफटवेयर के क्रय आदि हेतु	रू0 1.77
6- फोटो कॉपी मशीन के वार्षिक रख-रखाव पर व्यय	रू0 0.45
7- लिफ्ट के वार्षिक रख-रखाव पर व्यय	रू0 0.55
8- सेमिनार आदि में सम्मिलित होने हेतु यात्रा भत्ता व्यय	रू0 0.40
योग-	**रू0 5.60**
कुल योग-	**रू0 11.20 (रूपये ग्यारह लाख बीस हजार मात्र)**

शर्ते एवं प्रतिबन्ध

क- उपर्युक्त आहरित धनराशि का व्यय स्थायी निधि संचालन नियमावली-1999 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

ख- स्थायी निधि नियमावली के नियम-14 एवं 15 की व्यवस्था के अनुसार मदवार व्यय के सम्बन्ध में संस्थान के निदेशक मण्डल एवं स्थायी निधि सलाहकार समिति का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

ग- शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु बैंक से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो।

घ- उक्त धनराशि का जिन कार्यक्रमों/गतिविधियों पर व्यय किया जायेगा, उनकी प्रगति एवं मदवार व्यय की रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के 15 दिन की भीतर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही संस्थान के निदेशक द्वारा तैयार की गयी वर्ष भर की शैक्षणिक कार्यक्रमों की रूपरेखा दिनांक 31 मार्च, 2016 तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

च- उपकरणों को क्रय करते समय स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

छ- उपभोग की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र स्थायी निधि नियमावली-1999 के नियम-8 के प्राविधान के अनुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उसकी प्रति आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक को भी प्रेषित की जायेगी।

ज- उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यक्रमों/मदों पर किया जाए जो अन्य किसी श्रोत से पोषित न हों अर्थात किसी प्रकार की द्विवरावृत्ति (Duplicacy) न हो।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-4/2016/1517(1)/35-3-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6- आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।